ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना की दिनांक 19.09.07 को सम्पन्न कार्यशाला का कार्यवृत्त

संलग्नक–1 की सूची के अनुसार अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

बैठक में अध्यक्ष, राजस्व परिषद द्वारा सर्वप्रथम पूर्व बैठक दिनांक 29.08.07 में लिए गए निर्णयों की समीक्षा की गयी। सीड मनी की धनराशि अभी तक भारत सरकार से प्राप्त न होने पर अध्यक्ष राजस्व परिषद द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया एवं निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारियों को दिनांक 24.09.07 तक प्रेषित कर दी जाए। सी०ई०जी० भारत सरकार की अन्य योजनाओं में से अपने पास उपलब्ध धनराशि में से समस्त जिलों को धनराशि प्रेषित कर दे एवं भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने पर उस धनराशि की प्रतिपूर्ति कर ले। अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रति सप्ताह होने वाली दोनों बैठकों को नियमित रूप से किये जाने पर बल दिया गया। तत्पश्चात् भारत सरकार के निदेशक महोदय एवं अन्य कन्सलटेन्टस द्वारा योजना के विभिन्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया। इसके पश्चात् सभी प्रतिभागियों को 03 समूहों में विभाजित कर प्रत्येक समूह को 3–4 सेवाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा कर प्रस्तुतीकरण करने हेतु निर्देशित किया गया। समूहों द्वारा चर्चा कर प्रस्तुतीकरण किया गया एवं योजना के संबंध में जानकारी उपलब्ध करायी गयी। बैठक में निम्न निर्णय लिए गए–

1. सेंटर फार ई गवर्नेन्स दिनांक 24.09.07 के पूर्व इस योजना को सीड मनी प्राप्त कर सभी जिलों की लोकवाणी समितियों को उपलब्ध करायेगा।
2. जिले में सभी सेवाओं की प्रोसेस रिइन्जिनियरिंग हेतु संबन्धित शासनादेश/नियम/अधिनियम कन्सलटेन्टस् द्वारा प्राप्त किये जाते है। उन्हें तत्काल वेब साइट पर प्रदर्शित किया जाएगा जिससे कि अन्य जिलों में भी इसका लाभ मिल सके। ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना की एक वेब साइट तैयार की जायेगी जिसमें इस योजना की प्रगति की समीक्षा हेतु एक एम०आई०एस० रहेगा। इसके अतिरिक्त योजना से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी इस वेब साइट पर रखी जायेगी। आई०टी० विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं सभी संबंधित जिलों की वेब साइट पर इस वेब साइट का लिंक रखा जायेगा।
3. कन्सलटेन्टस् इस पूरी योजना की तिथिवार (सप्ताहवार नहीं) योजना बनाकर प्रस्तुत करेंगे।
4. प्रोसेस रिइन्जिनियरिंग का सम्पूर्ण कार्य दिनांक 30.10.07 तक समाप्त कर लिया जायेगा (10-10-07 तक as is study एवं 30-10-07 तक to be study)।
5. सभी चयनित सेवाओं एवं उनकी उप सेवाओं से लगभग कितने लोग लाभान्वित होगें एवं कितने विनिमय(transactions) प्रति वर्ष होगें, इसका एक अनुमानित आगणन कन्सलटेन्टस् द्वारा दिनांक 30.09.07 तक किया जायेगा।
6. प्रोसेस रिइन्जिनियरिंग के संबंध में निर्णय लेते समय निम्न बिन्दुओं को अवश्य ध्यान में रखा जाए:–

    6.1 प्रस्तावित सेवाओं का स्तर निर्धारित करते समय इस हेतु आवश्यक व्यय का अवश्य ध्यान रखा जाये, जिससे योजना निर्धारित बजट में ही लागू की जा सके।

    6.2 इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि प्रस्तावित सेवाओं का स्तर क्षेत्र की परिस्थितियों के दृष्टिगत व्यवहारिक होना चाहिए।

    6.3 यह भी ध्यान रखा जायेगा कि निर्धारित समय सीमा (एक वर्ष) में प्रस्तावित स्तर प्राप्त किया जा सकता है या नही।

    6.4 प्रोसेस रिइन्जिनियरिंग करते समय कोई ऐसा प्रोसेस नहीं छूटना चाहिए जिससे कि नागरिकों को गांव से शहर आने की आवश्यकता पड़े। सम्पूर्ण प्रोसेस रिइन्जिनियरिंग का उद्देश्य यह होना चाहिए कि नागरिक अपने गांव के समीप स्थित कामन सर्विस सेंटर पर न सिर्फ सेवा हेतु आवेदन कर सके वरन आवेदन के फलस्वरूप वांछित सेवा को कामन सर्विस सेंटर से प्राप्त भी कर सके। पूरी प्रक्रिया

में कोई ऐसी गतिविधि नहीं रहनी चाहिए जिसके लिये नागरिकों को सरकारी कार्यालय / शहर आना पड़े।

7. पुलिस संबंधी सेवाओं हेतु अध्यक्ष, राजस्व परिषद उनके द्वारा इस आशय का एक पत्र अपर मुख्य सचिव गृह / पुलिस महानिदेशक को लिखे जाने का निर्णय लिया गया।

8. कन्सल्टेन्ट्स द्वारा अवगत कराया गया कि इस परियोजना हेतु आवश्यक RFP शासन स्तर पर (जनपद स्तर से नहीं) जारी किया जायेगा जिससे सभी 6 जिलों में एक समान [illegible] लागू की जा सके।

9. पूरे कार्यान्वयन की सफलता हेतु प्रशिक्षण एवं परिवर्तन प्रबंधन (change management) को सर्वोच्च प्राथमिकता दिये जाने पर बल दिया गया एवं इस आशय हेतु वृहद प्रशिक्षण / प्रबंध क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम चलाये जाने का निर्णय भी लिया गया।

10. परियोजना की सफलता हेतु नियम / अधिनियम / शासनादेश / कार्यालय आदेशों में परिवर्तन हेतु समयबद्ध कार्यवाही की आवश्यकता पर बल दिया गया।

11. सभी चयनित 10 सेवाओं की उप सेवाओं की सूची संलग्नक-2 पर दी गयी है।

12. अध्यक्ष महोदय इस प्रकार की कार्यशाला प्रति 02 माह पर आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया।

13. बैठक के पश्चात कन्सलटेन्टस से इस परियोजना हेतु लगायी गयी जनशक्ति का विवरण प्राप्त किया गया जो कि संलग्नक-3 में प्रदर्शित है।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

ह0/-
(विनोद मल्होत्रा)
अध्यक्ष
राजस्व परिषद

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2.
संख्या-1476/78-2-2007
लखनऊ: दिनांक: 5 अक्टूबर, 2007

उपर्युक्त कार्यवृत्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित:-

1--बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त अधिकारीगण ।
2--निजी सचिव,सचिव / प्रमुख सचिव,सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0शासन ।

आज्ञा से,
(आमोद कुमार)
विशेष सचिव